

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
72/21	212 RTA	वरबटरेडी	बारां
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
गौदीलाल		बनाम	रोजेश कुमार 2021/197

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

12/02

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रोपत्र अंतर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस-स्थालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया। बकरील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, ग्राम वरबटरेडी के आराजी ख.न. 85 रकबा 10.01 बीघा ख.न. 294 रकबा 0.08 बीघा ख.न. 305 रकबा 3.02 बीघा एवं ख.न. 306 रकबा 0.03 बीघा कुल कित्ता 4 रकबा 13.14 बीघा भूमिके रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादी गणों को आगामी तारीख पेशी^{तक} अस्थायी निषेधाज्ञा से जाकंध किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी का दान, रहन, वे-जिन आदि न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को जारिफ सम्मत तलब कर पत्रिकली दिनांक 31/01/21 को पेश हो।

(Signature)

3/22

अज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 12.01/22 को पेश हो।

(Signature)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)



पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक... 15.5.24 को पेश हो।

14
शेडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (बारा)

15.5.24 पत्रावली पेश हुई। नकुलपे जरीकेन उपर। अपुर्ण। कृष 5 की नली हेतु तलवाना काज ही पेश करो। पत्रावली वास्ते नली। जवाब दिनांक 3.7.24 को पेश हो।

3.7.24 पत्रावली पेश हुई। नकील पार्थी एवं स्वपं पार्थी अनुपस्थित। न्यायालय में सब-सब कर तीन बार आवान लगवाई गई। नकील पार्थी एवं स्वपं पार्थी कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय निलम्बित होने सब इंतजार किया गया। पत्रावली कसब हानरी कसब परकी कारज में खारिज की जाती हैं। पत्रावली फंडाल शुगर सेक्टर कसब नमीत नकलील के सखिल इतर हो।